(घ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अन्तर्गत अनुज्ञेय राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर मजदूरी का संदाय बिना किसी प्रकार के कटौती किये की जायगी ।

255. **मजदूरियों के संदाय की तारीख के बारे में सुचनाओं का प्रदर्शन** : – नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कालावधि जिसके लिए मजदूरियों का संदाय किया जाता है ऐसी मजदूरियों के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों को बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऐसे सन्निर्माण स्थल के सहज दृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है ।

भाग – 5

प्रकीर्ण उपबन्ध

अध्याय 30

मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की शक्तियां –

256. **विशेषज्ञ, अभिकरण नियोजित करने की शक्ति** :– मुख्य निरीक्षक जैसा आवश्यक समझे सिविल इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी, स्थापत्य कला तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की अन्य शाखाओं से किसी निरीक्षण, अन्वेषण या किसी दुर्घटना या किसी खतरनाक घटना या अन्यथा के कारण करने के संचालन के प्रयोजन के लिए जब भी अपेक्षित हो विशेषज्ञ या अभिकरण नियोजित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास – (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में डिग्री होगी ।

(ख) सुसंगत क्षेत्र में दस साल से अनयून्य का कार्यकरण का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में होगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सुसंगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी और सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी ।

(4) राज्य सरकार समय–समय पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों का पैनल तैयार कर सकेगी ।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजीनियर या विशेषज्ञ या अभिकरण को ऐसे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उसे उसके संगठन द्वारा अनुज्ञात है जहां

वह नियोजित है या ऐसा यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी की पंक्ति के अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट किसी इंजीनियर या वास्तुविद या अभिकरण को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के साथ – साथ उनको समय–समय पर ऐसी दरों पर मानदेय का भी संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट करती है ।

257. **निरीक्षकों की शक्तियां** – (1) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर –

(i) सरकारी सेवा में विद्यमान ऐसे सहायकों (यदि कोई) जैसा कि उचित समझे, सभी उचित समय किसी भी परिसर या स्थान में, जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य चल रहा है, किसी भी रजिस्टार या अभिलेख, जो अधिनियम के अन्तर्गत पोषित या प्रदर्शित किया जाना है, के परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है तथा उसका निरीक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण के लिये बाध्य कर सकता है ।

(ii) ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले ऐसे सन्निर्माण स्थल या स्थान या परिसर का परीक्षण कर सकेगा ;

(iii) किसी व्यक्ति की ऐसी साक्ष्य घटना स्थल पर या अन्यथा ले सकेगा कि जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है ।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को किसी प्रश्न के जवाब के लिए या उस अपराध में फंसाने के लिए उन्मुख किसी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) फोटोचित्र, वीडियों क्लिप्स, सेम्पल वजन या माप या अभिलेख ले सकेगा या ऐसे रेखाचित्र बना सकेगा जो इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझता है

(v) किसी ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि वह ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध या आनुषंगिक किसी संक्रिया का परिणाम था या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन का परिणाम था ।

(2) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है अधिनियम या नियमो के अधीन उपबंधित भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के विषय में नियोजकों को कारण बताओ सूचना या चेतावनी जारी कर सकेगा।

(3) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई परिवाद या अन्य कार्यवाही फाइल कर सकेगा ।

(4) निरीक्षक ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी ठेकेदार या नियोजक को भवन निर्माण कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षा करवाने के लिए निदेश दे सकेगा ।

भाग – 6

भवन निर्माण कर्मकारों का कल्याण

अध्याय – 31

झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

258. **परिभाषा** : – इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ;

(ख) "अभिदाय" से अभिप्रेत है हिताधिकारी द्वारा निधि को देय धन राशि ;

(ग) "परिवार" से अभिप्रेत है भवन कर्मकार का पति या पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा पूर्ण रूप से निर्भर माता–पिता ;

(घ) "निधि" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 24 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि ;

(ड.) "सचिव" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव ;

(च) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

259. **बोर्ड गठन – 1. बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–**

i) एक अध्यक्ष – श्रमायुक्त, झारखण्ड पदेन अध्यक्ष होंगे ;

ii) एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा ;